भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न सं. 156

03 अगस्त, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

मुंबई के लिए अवसंरचना परियोजनाएं एवं पारदर्शिता संबंधी उपाय

156 श्री मिलिंद मुरली देवराः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मुंबई के लिए नई अवसंरचना परियोजनाएं संस्वीकृत की गई हैं;

(ख) दक्षिणी मुंबई तथा वर्ली में परिवहन, आवास एवं बाढ़ शमन संबधी लंबित परियोजनाओं की स्थिति क्या है; और

(ग) शहर में अवसंरचना विकास के लिए निधि के पारदर्शी प्रबंधन को सुनिश्चित करने हेतु क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य मंत्री

(श्री मनोहर लाल)

(क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

"मुंबई के लिए अवसंरचना परियोजनाएं एवं पारदर्शिता संबंधी उपाय" के विषय में दिनांक 03 अगस्त, 2026 को राज्य सभा में पूछे जाने वाला तारांकित प्रश्न सं. 156 के उत्तर में भाग (क) से (ग) में उल्लिखित विवरण।

(क) और (ख): सातवीं और बारहवीं अनुसूचियों के संयोजन के साथ संविधान के अनुच्छेद 243डब्ल्यू प्रावधानों के अनुसार, शहरी विकास से संबंधित विषय राज्यों/शहरी स्थानीय निकायों के अधिकार-क्षेत्र में आते हैं। तथापि, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय अपने विभिन्न प्रमुख मिशनों/कार्यक्रमों, जैसे–अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) 2.0, प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U) 2.0, स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (SBM-U) 2.0, स्मार्ट सिटी मिशन (SCM), शहरी परिवहन आदि के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनके शहरी विकास एजेंडा के क्रियान्वयन में योजनाबद्ध सहायता प्रदान करता है।

इन मिशनों/योजनाओं के माध्यम से, केन्द्र सरकार राज्य योजनाओं को अनुमोदित करती है और राज्यों को केन्द्रीय सहायता प्रदान करती है। परियोजनाओं का चयन, डिजाइन, अनुमोदन और निष्पादन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और शहरों द्वारा किया जाता है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र शहरों/जिलों को निधियां जारी करते हैं।

<u>अमृत और अमृत 2.0</u>: महाराष्ट्र राज्य सरकार ने अमृत और अमृत 2.0 के तहत मुंबई में कोई परियोजना शुरू नहीं की है। हालांकि, अमृत के तहत, महाराष्ट्र राज्य ने 8,011.36 करोड़ रुपये की 208 परियोजनाओं की नींव रखी है, जिसमें 4,444.14 करोड़ रुपये की 43 जलापूर्ति परियोजनाएं, 3,294.03 करोड़ रुपये की 36 सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन परियोजनाएं, 94.06 करोड़ रुपये की 01 वर्षा जनित जल निकासी और 179.13 करोड़ रुपये की 128 पार्क परियोजनाएं शामिल हैं।

अमृत 2.0 के तहत, राज्य ने 30,335.63 करोड़ रुपये की 283 परियोजनाएं शुरू की हैं, जिनमें 16,604.24 करोड़ रुपये की 127 जल आपूर्ति परियोजनाएं, 12,127.41 करोड़ रुपये की 46 सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन परियोजनाएं, 1,434.44 करोड़ रुपये की 85 जलाशय पुनरूद्धार परियोजनाएं और 169.55 करोड़ रुपये की 25 पार्क परियोजनाएं शामिल हैं।

मुंबई महानगर क्षेत्र (एमएमआर) में, राज्य ने अमृत के तहत 2,205.03 करोड़ रुपये की 51 परियोजनाओं की नींव रखी है, जिसमें 1,220.57 करोड़ रुपये की 10 जल आपूर्ति परियोजनाएं, 847.67 करोड़ रुपये की 10 सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन परियोजनाएं, 94.06 करोड़ रुपये की तूफानी वर्षा जल निकासी परियोजना और 42.73 करोड़ रुपये की 30 पार्क परियोजनाएं शामिल हैं।

एमएमआर में, राज्य ने अमृत 2.0 के तहत 6,557.89 करोड़ रुपये की 65 परियोजनाएं शुरू की हैं, जिसमें 3,437.29 करोड़ रुपये की 18 जल आपूर्ति परियोजनाएं, 2,887.47 करोड़

रुपये की 19 सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन परियोजनाएं, 228.70 करोड़ रुपये की 27 जलाशय पुनरूद्धार परियोजनाएं और 4.43 करोड़ रुपये की एक पार्क परियोजना शामिल हैं।

पीएमएवाई-यू और पीएमएवाई-यू 2.0: आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय देश भर में पात्र शहरी लाभार्थियों को मूलभूत नागरिक सुविधाओं के साथ सभी मौसमों के अनुकूल पक्के आवास प्रदान करने के लिए 25.06.2015 से पीएमएवाई-यू को लागू कर रहा है। पीएमएवाई-यू के कार्यान्वयन के अनुभवों से मिली सीख के आधार पर, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने योजना में बदलाव किया है और एक करोड़ अतिरिक्त पात्र लाभार्थियों की सहायता करने के लिए देश भर के शहरी क्षेत्रों में कार्यान्वयन के लिए 01.09.2024 से पीएमएवाई-यू 2.0 'सभी के लिए आवास' मिशन शुरू किया है।

महाराष्ट्र राज्य ने पीएमएवाई-यू/पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत मुंबई दक्षिण और वर्ली के लिए किसी भी परियोजना का प्रस्ताव नहीं किया है। हालांकि, महाराष्ट्र राज्य से प्राप्त परियोजना प्रस्तावों के आधार पर, पीएमएवाई-यू और पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत कुल 13.84 लाख घरों को स्वीकृत किया जा चुका है।

शहरी परिवहन: आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा स्वीकृत कोई भी मेट्रो रेल परियोजना वर्तमान में मुंबई में लंबित नहीं है। हालांकि, 17.417 किलोमीटर की लंबाई को कवर करने वाली मुंबई मेट्रो लाइन 11 (अनिक डिपो, वडाला से गेटवे ऑफ इंडिया) के मूल्यांकन के लिए सार्वजनिक निवेश बोर्ड (पीआईबी) की बैठक 13.7.2026 को आयोजित की गई थी। यह परियोजना आंशिक रूप से मुंबई दक्षिण को कवर करती है।

(ग) निधि प्रबंधन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, केन्द्र के साथ-साथ राज्य सरकारों द्वारा आवधिक समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं। इसके अलावा, पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखने के लिए भारत सरकार से निधियों को सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के माध्यम से अंतरित किया जाता है।
